

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, में तम्बाकू-मुक्त कार्य-स्थल नीति

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर अपने कार्मिकों के अच्छे स्वास्थ्य और गुणवत्ता पूर्ण जीवन के लिए सम्पूर्ण तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल बनाना चाहती है। 31 मई 2008 से अकादमी परिसर पूर्णतया तम्बाकू मुक्त है।

उद्देश्य—

तम्बाकू से जुड़े हुये स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों को भली भांति जाना जा चुका है। स्वास्थ्य सम्बन्धी यह खतरे न सिर्फ तम्बाकू सेवी बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी प्रतिकूलतः प्रभावित करते हैं जिसमें तम्बाकू सेवी द्वारा फैलाया गया धुंआ और चबाये हुये तम्बाकू के दुषप्रभाव शामिल हैं। अकादमी का ऐसा इरादा है कि यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों और आगन्तुकों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में सहयोगपूर्ण वातावरण कार्यस्थल पर उपलब्ध कराया जाए।

सिद्धान्त—

1. यह नीति उन सभी कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों, ठेकेदारों, आगन्तुकों और राजस्थान पुलिस अकादमी प्रशिक्षण परिसर से सम्बद्ध व्यक्तियों पर लागू है जब तक कि वे राजस्थान पुलिस अकादमी प्रशिक्षण परिसर में मौजूद रहते हैं। प्रशिक्षण परिसर से भिन्न आवासीय परिसर में इसे अगले चरण में लागू किया जाएगा।
2. राजस्थान पुलिस अकादमी में मौजूद सभी कर्मचारी, प्रशिक्षणार्थी, ठेकेदार और आगन्तुकों के लिए अकादमी परिसर में कोई भी तम्बाकू उत्पाद लाना, रखना और इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अकादमी का सम्पूर्ण क्षेत्र अब तम्बाकू मुक्त हैं जिसमें इसके सभी भवन, सभी सुविधा-क्षेत्र, खेल के मैदान और पार्किंग स्थल सहित आगन्तुक निजी वाहन और राजकीय वाहन भी शामिल हैं।
3. राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रत्येक आगन्तुक को निरपवाद रूप से इसकी तम्बाकू मुक्त स्थिति से अवगत कराया जाएगा। जो व्यक्ति तम्बाकू उत्पाद प्रयोग करते हैं उन्हें स्वयं के और सार्वजनिक हित के पक्ष में जानकारी देते हुये, कम से कम तब तक जब तक कि वे अकादमी परिसर में रहते हैं, तम्बाकू उत्पाद का उपभोग बन्द करने को कहा जाएगा।
4. यह नीति राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर अथवा अन्यत्र होने वाली अकादमी की बैठकों और सभी आयोजनों पर भी लागू होती है जिनमें सभी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद निषिद्ध होगा। (यह निषेध सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, तम्बाकू युक्त पान और अन्य सभी तम्बाकू उत्पादों को सम्मिलित करते हुए लागू होगा)
5. अकादमी परिसर स्थित चिकित्सालय में “तम्बाकू निषेध क्लीनिक” मौजूद है जहां तम्बाकू बन्दी से सम्बन्धित सभी औषधियां, सामग्री, सलाह प्रदान कर सौहार्द पूर्ण वार्ता की जाती है। सभी आगन्तुक इस तम्बाकू बन्दी सेवा की अकादमी परिसर में उपलब्धता से अवगत कराये जाकर इसके उचित एवं इष्टतम (अनुकूलतम) प्रयोग हेतु सूचित किये जाएंगे। तम्बाकू बन्दी एवं इससे जुड़े हुये जागृति कार्यक्रमों, निर्देशों और संसाधनों को अकादमी के उन सभी कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों और आगन्तुकों को उपलब्ध करवाया जाएगा जो इस सेवा के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर आइन्दा निश्चित रूप से तम्बाकू उत्पाद का उपभोग बन्द करना चाहते हैं।
6. तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल नीति की निरपवाद रूप से पालना अकादमी में कार्यरत सभी कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों और आगन्तुकों के लिए अनिवार्य होगी। यहां उल्लिखित सभी के द्वारा इस नीति का उल्लंघन होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

- यह नीति नामांकित पर्यवेक्षण अधिकारियों (उप अधीक्षक गण, निरीक्षक गण एवं प्रभारी गण) के द्वारा उचित प्रशासनिक व्यवहार में लाई जाकर लागू की जाएगी जो प्रत्येक मामले का प्रतिवेदन उसी कार्य दिवस पर सहायक निदेशक (प्रशासन) अथवा उप निदेशक एवं प्राचार्य को देंगे। पर्यवेक्षक—गण अपने निर्देशाधीन सभी कर्मचारियों एंव प्रशिक्षार्थियों द्वारा इस नीति की समुचित जानकारी, पालना और उल्लंघन पर उचित कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होंगे। सम्बन्धित पर्यवेक्षक गण त्वरित रूप से सभी कर्मचारियों एंव प्रशिक्षार्थियों को इस नीति की अधिसूचना एवं एक प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- इस नीति का उल्लंघन होते देखने वाला कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना अकादमी के पर्यवेक्षक को देगा। पर्यवेक्षकगण ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अथवा सीधे ही स्वयं द्वारा ऐसा उल्लंघन देखने पर अपने निर्देशाधीन सम्बन्धित कर्मचारी अथवा प्रशिक्षार्थी से वार्ता कर तदनुसार उचित अनुशासनिक कार्यवाही अथवा उत्तरवर्ती आवश्यक उपाय करेंगे। समस्या के लगातार बने रहने पर सम्बन्धित कर्मचारी और/अथवा पर्यवेक्षक सहायक निदेशक (प्रशासन) से समाधान करवायेंगे। इस विषय में कोई भी शिकायत निर्दिष्ट स्थानीय टेलिफोन लाईन पर नामांकित व्यक्ति को बुलाकर अथवा वेब—पते पर नामांकित व्यक्ति को सम्बोधित कर दर्ज करवाई जा सकती है।
- इस नीति से सम्बन्धित कोई भी विवाद राजस्थान पुलिस अकादमी की कार्य से सम्बन्धित किसी भी समस्या से निपटने के लिए सु—स्थापित कार्यालय प्रणाली द्वारा व्यवहार में लाया जाएगा। इस नीति से सम्बन्धित किसी भी जिज्ञासा अथवा प्रश्न के समाधान के लिए पदानुकमानुसार सहायक निदेशक (प्रशासन), अतिरिक्त निदेशक अथवा उप निदेशक और निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी से टेलीफोन/वेब साइट पर, लिखित में अथवा परिस्थिति अनुसार व्यक्तिशः सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रणाली की अधःसंरचना

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में शत-प्रतिशत तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल नीति का कार्यान्वयन –

1. अकादमी के सभी स्तरों से चुने हुये प्रतिनिधियों से बना कार्य समूह विकसित करना—
ऐसा कार्य समूह नीति की आयोजना एवं कार्यान्वयन टोली के साथ—साथ तम्बाकू—मुक्त नीति से जुड़े सभी प्रकार के संवाद हेतु मूल—संदेश वाहक की भूमिका निभायेगा। कार्यसमूह की संरचना संगठन की विविधता को प्रतिबिम्बित करेगी। कार्यसमूह में निम्न प्रतिभागी शामिल होंगे—
 - वरिष्ठ प्रबन्धन (निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और सहायक निदेशक गण—इन्डोर और आउटडोर)
 - सुविधायें एवं परिचालन (सहायक निदेशक— प्रशासन एवं संचित निरीक्षक— प्रशासन)
 - स्वास्थ्य अधिकारी (चिकित्सा अधिकारी)
 - प्रशिक्षण (प्रशिक्षक गण)
 - सम्प्रेषण (प्रभारी—कम्प्यूटर शाखा)
 - प्रभारी गण (प्रभारी इन्डोर, प्रभारी आउटडोर, प्रभारी मोटर परिवहन शाखा, प्रभारी रिसाला, प्रभारी बैण्ड, प्रभारीगण छात्रावास, ठेकेदार जलपान—गृह इत्यादि) अनुप्रयोज्यता के आधार पर। कार्यसमूह में वर्तमान / पूर्व तम्बाकू उपयोग—कर्ताओं और कभी भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व होगा।
कार्यसमूह के दायित्व निम्नलिखित होंगे—
 - तम्बाकू नियन्त्रण की चालू प्रक्रिया का पुनर्विलोकन अर्थात् कर्मचारियों और प्रबन्धन से कार्यस्थल के मामलों और नीति के विकास के बारे में विमर्श करना।
 - कर्मचारी सर्वेक्षण का प्रबन्ध करना— कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों का सर्वेक्षण निम्न को सुनिश्चित करने में उपयोगी होगा—
 - क. कार्यस्थल पर धुम्रपान एवं तम्बाकू उत्पाद चबाने के प्रति अभिवृत्ति/रवैया।
 - ख. प्रतिरोध के सम्बावित क्षेत्रों को शामिल करते हुये प्रस्तावित नीति से सम्बन्धित आचरण और राय का आकलन।
 - ग. तम्बाकू—प्रयोक्ताओं का प्रतिशत और त्यागने में उनकी रुचि का निर्धारण।
 - घ. तम्बाकू सेवन के लिए प्रचलित विशेष स्थान।
 - ङ. तम्बाकू मुक्त नीति के लिए समर्थन जुटाने के मौकों की पड़ताल।
 - च. नीति से सम्बन्धित सम्प्रेषण के लिए उचित लहजा व वातावरण, माध्यम और न्यूनतम ज्ञान का स्तर।
 - छ. तम्बाकू सेवन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और आयोजित नीति के फायदों की शिक्षा के लिए वांछित ज्ञान का स्तर। इस हेतु नीति के दस्तावेज के अतिरिक्त अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (A.C.S.) ने अतिरिक्त योगदान के लिए आश्वस्त किया है।
 - ज. अभिव्यक्त रुचियों के आधार पर उपलब्ध तम्बाकू बन्दी उत्पादों और सेवाओं के प्रकारों की उपलब्धता तथा बीमा कवर।
 - झ. द्वितीय चरण में आवासीय क्षेत्र को शामिल किये जाने पर विचार; इस मामले पर सुरक्षा प्रशिक्षण विद्यालय (S.T.S.) और पुलिस मुद्रणालय से विचार विमर्श किया जाएगा।
 - 2. तम्बाकू मुक्त नीति का प्रभावी सम्प्रेषण कौशल एवं आयोजना विकसित करना
 - नीति के लिए समर्थन जुटाना, अर्थात् प्रबंधन और कर्मचारियों को तम्बाकू मुक्त नीति के पीछे कारणों से अवगत कराना, सम्प्रेषण और जागृति अभियान के मूल संदर्शों का प्रभावी प्रचार—प्रसार, संपूर्ण अकादमी में नीति के लिए योगदान और समर्थन प्राप्त करना।
 - तम्बाकू मुक्त नीति के लागू होने पर इसके प्रभाव की सतत देख—रेख एवं मूल्यांकन करना।

3. तम्बाकू मुक्ति नीति के लक्ष्यः—

‘तम्बाकू मुक्ति कार्यस्थल नीति’ का एक प्रमुख लक्ष्य सभी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर एक स्वस्थ एवं उत्पादक माहौल को प्रोत्साहित करना है। कर्मचारियों के मित्र के रूप में यह नीति उनके नियोक्ता की उनके स्वास्थ्य और सकुशलता के लिए सरोकार भाव को स्पष्टतः व्यक्त करती है और इसे न तो तम्बाकू सेवियों को लक्षित कर और न ही एक व्यापक तम्बाकूसेवी विरोधी अभियान के बतौर बनाया गया है।

यह नीति एक लिखित दस्तावेज है और इसमें नीतिगत लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने हेतु आवश्यक चरणों को स्पष्टतः चिन्हित किया गया है। नीति का अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने हेतु और तम्बाकू सेवियों को लक्ष्य बनाने से बचने के लिए, जब भी संभव होगा, इसे स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यक्रमों और पद्धतियों के साथ समेकित कर दिया जाएगा।

4. सम्प्रेषण / जागृति अभियानः—

इस नीति के लिए प्रारम्भिक और दीर्घावधि समर्थन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच खुला संवाद महत्वपूर्ण प्रकार से निर्णायक होगा। ऐसा खुला संवाद कर्मचारियों का नीति परिवर्तन एवं उसके नतीजों से सतत परिचित रहना सुनिश्चित करेगा।

सभी कर्मचारी निम्नलिखित बिन्दुओं से अवगत कराये जाएंगे—

- तम्बाकू मुक्ति नीति का लागूकरण और इसे हासिल करने के लिए निर्धारित समय सीमा।
- ‘तम्बाकू बन्दी’ में सहायक तत्वों की उपलब्धता एवं प्रकार।
- नीति के लिए सुसंगत युक्तिपूर्ण औचित्य।
- तम्बाकू के धुए से धूम्रप्रानकर्ता के स्वास्थ्य को होने वाली प्रत्यक्ष हानि और निकटस्थ व्यवित्रियों के स्वास्थ्य को होने वाली अप्रत्यक्ष हानि।
- नीति और इसके प्रभाव के साथ कर्मचारियों का जीवन्त सम्बन्ध बनाना, जिससे उनमें नीति के प्रति संरक्षण भाव उत्पन्न हो।

प्रबंधक वर्ग (निदेशक से प्रभारी तक) को किसी भी नई नीति के लागू करने के समय उसके प्रवर्तन को संगत एवं सुस्थिर बनाने हेतु वांछित प्रत्याशाओं के लिए समुचित प्रकार से अधिकार सम्पन्न किया जाएगा।

विशेषतः, उन्हें निम्नलिखित जानकारियां दी जाएंगी—

- नीति को लागू करने के लिए की जाने वाली आसन्न कार्यवाहियां।
- कर्मचारीगण और प्रशिक्षणार्थियों को सम्प्रेषित की जाने वाली सूचनाएँ जैसे सूचनापट्ट एवं पत्र इत्यादि।
- नीति के प्रवर्तन और इसके उल्लंघन पर की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया।
- नीति की अपेक्षा और आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उनकी जिम्मेदारी।
- कर्मचारियों को दिये जाने वाले मूल संदेश, जिन्हें जोर देकर कहा जाना है।
- कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों के धूम्रप्रान छोड़ने के प्रयासों को पूरा समर्थन देना।
- नीति के लागूकरण के परिणाम स्वरूप आवश्यक प्रशासनिक एवं संभार तंत्र (logistics) सम्बन्धी परिवर्तन यथा— सूचना पट्ट लगाना, कर्मचारी नियमावली / लघु पुस्तिका में नीति का समावेशन इत्यादि।

अकादमी अपने कर्मचारियों एवं प्रशिक्षणार्थियों संवाद के लिए विविध साधनों का प्रयोग करेगी यथा— सूचनापत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ब्लॉग, पे-स्टब, पत्र, ई-मेल, ज्ञापन/विवरण पत्र, इश्तहार, टोली निर्देश, बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (F.A.Qs) वेबसाईट और सम्प्रेषण—साधन जैसे प्रस्तुतियां, पत्र, कामयाब मामलों का विवरण इत्यादि।

5. तम्बाकू बन्दी के लिए समर्थन

नीति—लागूकरण के सर्वश्रेष्ठ परिणामों को हासिल करने के लिए अकादमी अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए समुचित प्रमाणयुक्त तम्बाकू बन्दी उत्पाद एवं सेवाएँ प्रस्तुत करेगी। तम्बाकू बन्दी उत्पादों (औषधीय एवं एन.आर.टी.) और सवाओं की अनुकूलतम आपूर्ति द्वारा उन तक

कर्मचारियों की पहुंच को सुगम बनाया जाएगा। कर्मचारी इन सेवाओं और उत्पादों का उपयोग मुफ़्त अथवा राशि पुनर्भरण द्वारा करने में समर्थ होने चाहिए। उक्त उत्पादों एवं सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं—

- क—** वैयक्तिक /समूह आधारित तम्बाकू बन्दी परामर्श ।
- ख—** टेलीफोन आधारित परामर्श।
- ग—** तम्बाकू के प्रयोग और इसे छोड़ने के उपायों पर सूचनात्मक एवं स्वयं सहायतात्मक सामग्री।
- घ—** तम्बाकू बन्दी औषधियां (यथा— बुप्रोन एस.आर.) और निकोटीन प्रतिस्थापक उपचार (निकोटीन गम जिसमें धूम्रपानकर्ताओं के लिए न्यू लाईफ यूकोमिन्ट और तम्बाकू चबाने वालों के लिए न्यू लाईफ गुटखा.)
- ङ—** कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों एवं उनके परिवारजनों के लिए तम्बाकू बन्दी कार्यक्रम के बारे में निर्देश संकेत और सूचनाएँ।

तम्बाकू बन्दी उत्पाद एवं सेवाएँ एक व्यापक तरतीबी तौर पर स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं और लगातार की जाती रहेंगी जैसे कार्यस्थल पर तन्दुरुस्ती, पोषण और वजन नियंत्रण हेतु सहायता इत्यादि। राजस्थान पुलिस स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और स्थानीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर इनके द्वारा तम्बाकू बन्दी कार्यक्रम (यथा— निकोटीन प्रतिस्थापक उपचार और /अथवा परामर्श.) को शामिल किया जा सकने सम्बन्धी आकलन भी किया जाएगा।

अकादमी तम्बाकू छोड़ने में प्रगतिशील कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा छोटी—मोटी राशि इत्यादि प्रदान करने पर भी विचार कर सकती है।

परिशिष्ट – 2

1. तम्बाकू मुक्ति नीति के लिए पूरक समर्थन

तम्बाकू मुक्ति कार्य—स्थल नीति में तम्बाकू बन्दी उत्पाद एवं सेवाएँ उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त इस नीति के प्रचार प्रसार अभियान द्वारा जागृति और नीति का पूर्णतः लागूकरण आवश्यक रूप से शामिल होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण है कि अकादमी परिसर में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, किसी भी तरीके से, कोई भी तम्बाकू उत्पाद लाया अथवा बेचा ना जाए। नीति के अनुपालन को अग्रसर करते हुए अकादमी परिसर से सभी सिगरेट/बीड़ी के टोंटे, राख पात्र, गुटखा/जर्दा की पुड़िया और थूंकदान/तम्बाकू थूंकने के स्थान पूरी तरह से हटाये जाएंगे।

○ सम्प्रेषण

- 1—** नीति के लागू करने की दिनांक औपचारिक रूप से घोषित की जाएगी। कार्मिकों के स्वास्थ्य के लिए नीति के फायदों को मुख्यतः व्यक्त किया जाएगा और अकादमी स्थित चिकित्सालय के द्वारा तम्बाकू बन्दी कार्यक्रम को एक ताजा शुरूआत देकर अन्तिम रूप से तम्बाकू बन्दी सेवाओं की स्थापना के लिए निर्धारित किया जाएगा। कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अकादमी के शीर्ष प्रबन्धन का सक्रिय योगदान प्राप्त किया जाएगा।
- 2—** सूचना पट्ट प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाकर आगन्तुकों की नीति से अवगत करवाया जाएगा (जैसे— अकादमी के प्रवेश द्वार पर, स्टाफ के इकट्ठे होने वाले स्थानों पर यथा 'ऑफिसर्स मेस', स्टेडियम, कॉन्फ्रेन्स हॉल, छात्रावासों के अतिथि कक्ष इत्यादि सहित अन्य सम्बन्धित सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय महत्व के स्थानों पर सूचना पट्ट लगे होंगे)-
- अ—** तम्बाकू मुक्ति नीति के उल्लंघनकर्ता पर ——रु0 का जुर्माना किया जाएगा। यद्यपि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर धूम्रपान हेतु प्रतिबन्ध तदर्थ बने राष्ट्रीय अधिनियम में उपलब्ध है परन्तु चबाये जाने वाले तम्बाकू के विषय में कोई अधिसूचित व्यवस्था नहीं दी गई है जो इस नीति के उल्लंघन के स्थानीय प्रावधानों के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए/लिया जा सकता है।
- ब—** कृपया अकादमी को तम्बाकू मुक्त रखने में मदद करें।

- 3— तम्बाकू बन्दी के लिए यह जागृति अभियान तम्बाकू मुक्त जीवन शैली को अप्रसर करने वाले संदेश देता रहेगा, कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों को तम्बाकू बन्दी उत्पादों और सेवाओं की जानकारी देता रहेगा और तम्बाकू मुक्ति नीति को हकीकत में बदल डालने के लिए कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों के प्रयासों और प्रदत्त समर्थन के लिए उन्हें विशेष मान्यता देगा। त्रैमासिक आधार पर सभी कार्मिकों और प्रशिक्षणार्थियों से नीति के बाबत नियमित संवाद किया जाएगा।
- 4— यह सुनिश्चित करना कि नये कर्मचारियों के काम करने के कार्यस्थल और प्रशिक्षणार्थी केन्द्रित सभी सामग्री के द्वारा यह निश्चायक रूप से व्यक्त हो कि अकादमी में तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल नीति का पालन किया जाता है।
- 5— साथ ही तम्बाकू मुक्ति में मिली कामयाबी को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस इत्यादि सहित अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/स्थानीय स्तर के स्वारथ्य/कैन्सर नियंत्रण/तम्बाकू नियंत्रण संगठनों के साथ साझी करना।

- **नीति का प्रवर्तन और इसकी अ—पालना पर कार्यवाही**

तम्बाकू मुक्ति नीतियां साधारणतः स्वयं प्रवर्तनीय प्रकृति की होती है, तथापि नीति की अ—पालना को अकादमी की अन्य नीतियों की अ—पालना के मामलों की स्थापित पद्धति से ही निपटा जाएगा। यह आत्यन्तिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि अकादमी में कार्य एवं प्रशिक्षण की आवश्यक शर्त के बतौर तम्बाकू मुक्ति नीति की पालना की जाएगी। अ—पालना के प्रथम बार के मामलों को परामर्श द्वारा इसके पीछे निहित कारणों सहित निपटाया जाएगा।

अकादमी प्रबंधन, कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों के लिए इस नीति के प्रभावी सम्प्रेषण और प्रवर्तन के लिए, शिकायतों की जांच/दर्ज करने के लिए और विवादों को निपटाने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान करने का सतत प्रयास करेगा। पर्यवेक्षकों और प्रबन्धकों को इस नीति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकार सम्पन्न बनाया जाएगा।

नीति के लागू होने के प्रथम कुछ दिनों के दौरान नीति के प्रति प्रत्यक्ष समर्थन के प्रदर्शन हेतु अकादमी के शीर्ष प्रबन्धक अधिकारी अकादमी परिसर एवं भवनों विशेषतः पूर्व में तम्बाकू सेवन के स्थानों का पैदल भ्रमण करेंगे।